न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन(राज.)

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
भंवरलाल पुत्र लिछमणराम जाति बावरी निवासी मांगलोदी तहसील कुचामन सिटी जिला डीडवाना–कुचामन	बनाम	गणेशराम पुत्र पेमाराम जाति रेगर निवासी शरगोठ–पदमपुरा तहसील कुचामन सिटी जिला डीडवाना–कुचामन वगैराह

राजस्व वाद–पत्र = दावा घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

GCMS No.2024/309

राजस्व वाद–पत्र नम्बर = 170 /2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
25.11.2024	वकील वादी द्वारा यह दावा घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रतिवादी के विरूद्व पेश किया। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादी जरिये रजिस्टर्ड एडी सम्मन तलब होकर पत्रावली दिनांक 20/12/2024 पेश हो। [signature]	
20/12/24	वकील वादी उप० प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन पेश किये। पत्रावली दिनांक 5/2/25 को पेश हो। [signature]	
5/2/25	वकील वादी उप० प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन पेश किये। पत्रावली दिनांक 24/2/25 को पेश हो। [signature]	
24/2/25	पत्रावली पेश हुयी। बार संघ द्वारा आज कार्य स्थगन रखा गया है। पत्रावली दिनांक 5/5/25 को पेश हो। [signature]	
5/5/25	पत्रावली पेश हुयी। बार संघ द्वारा आज कार्य स्थगन रखा गया है। पत्रावली दिनांक 10/6/25 को पेश हो। [signature]	
10/6/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी को बार-बार आवाज लगाई गयी। अनुपस्थित है। वाद पत्र अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली [illegible] [illegible] नम्बर से कम होकर दाखिल [illegible]	

[illegible] उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना–कुचामन)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.08 15:38:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner